शाहजहांपुर पुलिस

प्रेस नोट सराहनीय कार्य दिनांक 04.10.24

थाना रोजा पुलिस को मिली बडी कामयाबी

थाना रोजा पुलिस द्वारा हत्या के मुकदमे मे वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के कुशल निर्देशन , श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर व श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल प्रयवेक्षण मे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार व टीम द्वारा आज दिनांक 04/10/2024 को समय करीब 12.30 बजे मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 609/24 धारा 103(1)/352/330(2)(e) बीएनस मे वांछित अभियुक्त को **अटसलिया पुल के नीचे** से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा जा रहा है।

संक्षिप्त विवरण : -

दिनांक 02/10/2024 को वादिनी मुकदमा श्रीमती बेबी पाण्डेय पत्नी बृज किशोर पाण्डेय निवासी ग्राम रौसर कोठी थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर द्वारा लिखित तहरीर देकर विपक्षीगण 1.रुकईया बानो पत्नी किश्वर अली 2.किश्वर अली पुत्र नामालुम सर्व निवासी मो0 तारीन टिकली शहरखास शाहजहाँपुर 3.अनिल कुमार पुत्र रामऔतार निवासी मो0 काजीटोला सदर शाहजहाँपुर के द्वारा उनके पति बृजकिशोर पाण्डेय के साथ मारपीट करने व जान से मार देने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 609/24 धारा 103(1)/352/330(2)(e) बीएनस पंजीकृत कराया गया था। मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 04/10/2024 को अटसलिया पुल के नीचे से वांछित अभियुक्त किश्वर अली पुत्र सफदर अली हालपता अहमदपुर नियाजपुर थाना रोजा शाहजहाँपुर मूल निवासी ग्राम कलवारी मौजा माना खेड़ा थाना उचौलिया जनपद लखीमपुर खीरी को समय करीब 12.30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण : -

1. किश्वर अली पुत्र सफदर अली हालपता अहमदपुर नियाजपुर थाना रोजा शाहजहाँपुर मूल निवासी ग्राम कलवारी मौजा माना खेड़ा थाना उचौलिया जनपद लखीमपुर खीरी उम्र करीब 40 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग :-

मु0अ0स0 609/24 धारा 103(1)/352/330(2)(e) बीएनस थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तारी का स्थान व समयः-

दिनांक 04/10/2024 को समय करीब 12.30 बजे अटसलिया पुल के नीचे से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी पूछताछ :-

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गयी है साहब हमारे अन्दर लालच आ गया था। मैने तथा मेरी पत्नी ने अपने मकान की रजिस्ट्री 12 तारीख को बृजकिशोर तथा उनकी पत्नी को 29.5 लाख मे बेचा था , जिसका पैसा भी उन्होने उसी दिन दे दिया था। हमारे पुराने परिचित दलाल ने ही मकान का सौदा कराया था और उसे भी उसका हिस्सा मिल गया था, लेकिन वह कह रहा था कि तुमने मकान सस्ता बेच दिया है , अभी इसको खाली मत करो इनसे और रूपया मिल जायेगा। बृजकिशोर तथा उनकी पत्नी बेबी पाण्डेय 25 अक्टूबर को भी मकान की चाबी लेने आये थे लेकिन उस दिन भी हमने उन्हे टाल दिया था। फिर 28.09.24 तारीख को बृजकिशोर अपनी पत्नी के साथ आये और उसी समय मकान खाली करने का दबाव बनाने लगे और जोर जोर से बोले की मै अभी डीएम साहब को फोन करूंगा और सभी को बुला लूंगा , तुम्हे मकान अभी खाली करना पड़ेगा। मै अनिल तथा मेरी पत्नी बृजकिशोर को मारना नही चाहते थे, लेकिन जब वह अचानक से हमे गालियां देने लगा तो

हम तीनो ने उसका गला पकड़ लिया , गला पकड़ते ही वह जमीन पर गिर गया। बृजकिशोर की पत्नी बेबी पाण्डेय उस समय मकान के अन्दर गयी हुई थीं लेकिन जब वह चीखा तो वह बाहर निकल आयीं हम तीनो बहुत डर गये थे क्योंकि बृकिशोर एकदम जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया तब हमने बेबी पाण्डेय से बहाना बनाकर बता दिया कि ये हमसे बहस कर रहे थे और इन्हे हार्ट अटैक हो गया। बेबी पाण्डेय ने तभी किसी लड़के को बुलाया और उन्हे जिला अस्पताल ले गयी। हमारा बृजकिशोर को मारने को कोई इरादा नही था।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार
2. उ0नि0 राजेश कुमार
3. का0 288 प्रवेन्द्र कुमार